भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3134
07 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना

†3134. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना विकास का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश में पर्याप्त एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में कितने अतिरिक्त शीत भंडागारों की अनुमानित आवश्यकता है तथा मौजूदा शीत भंडागारों और उनकी कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश भर में ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां शीत भंडागारों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान शीत श्रृंखला के विकास के साथ खाद्य और कृषि उत्पादों के खराब होने में उल्लेखनीय कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) को कार्यान्वित कर रहा है। शीत श्रृंखला के अंतर्गत, वर्ष 2008 से (दिनांक 30.06.2025) अर्थात अब तक, 395 एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । कुल 395 स्वीकृत परियोजनाओं में से, 291 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं, जिससे क्रमशः 25.49 एलएमटी/वर्ष और 113.16 एलएमटी/वर्ष की परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है।

(ग) और (घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) द्वारा वर्ष 2015 के दौरान प्रकाशित "अखिल भारतीय शीत-श्रृंखला अवसंरचना क्षमता (स्थिति एवं अंतराल का आंकलन)" पर एक अध्ययन रिपोर्ट में देश में पहले से निर्मित अवसंरचना की मौजूदा क्षमता और अनुमानित मांग के बीच आंके गए अंतर पर प्रकाश डाला गया है। (i) देश में पहले से निर्मित राज्यवार शीत भंडारण (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 31.01.2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार) और उपरोक्त रिपोर्ट में दिया गया (ii) देश की शहरी जनसंख्या (वर्ष 2014-15) के आधार पर अनुमानित राज्यवार शीत भंडारण मांग का विवरण, क्रमशः **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

(ङ) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर अध्ययन कराकर फसल कटाई और फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाता है । निम्नलिखित के माध्यम से मंत्रालय ने दो अध्ययन करवाए है :

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), लुधियाना द्वारा "भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक कटाई के दौरान का और फसलोत्तर नुकसान का आकलन", 2015, संदर्भ वर्ष 2012-14 के साथ; और

(ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) ने वर्ष 2020-22 के संदर्भ में वर्ष 2022 में "भारत में कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन" नामक एक अध्ययन किया है ।

नुकसान के आंकलन के लिए विभिन्न चरणों पर विचार किया गया : फसल की कटाई, संग्रहण, ग्रेडिंग/छँटाई, ओसाई/सफाई, सुखाना, पैकेजिंग, परिवहन, खेत स्तर पर और गोदाम स्तर पर भंडारण, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करण इकाई और बाज़ार स्तर पर परिवहन। विभिन्न कृषि -उत्पादों के अनुमानित नुकसान का विवरण निम्नलिखित है :

प्रमुख फसलों और वस्तुओं का फसलोत्तर नुकसान

फसलें/ वस्तुएं	**अनुमानित नुकसान (%)**	
	आईसीएआर-सीआईपीएचईटी अध्ययन (2015) के अनुसार*	**नैबकॉन्स अध्ययन (2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
रोपण फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
पॉल्ट्री	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक कटाई और कटाई के बाद के नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट, वर्ष 2015। ** नैबकॉन्स अध्ययन वर्ष 2022

*****

अनुबंध- I

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु " एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित

देश में दिनांक 31.01.2025 तक निर्मित राज्यवार शीत भंडारण सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	सृजित शीत श्रृंखला (क्षमता मीट्रिक टन में) [2025 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार]
1	अंदमान और निकोबार (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़(केंद्र शासित प्रदेश)	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप(यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिज़ोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुडुचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडू	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
31	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
32	उत्तराखंड	62	206848
33	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

अनुबंध- II

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु " एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित

एनसीसीडी द्वारा 2015 के दौरान दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 तक शीत भंडारण आवश्यकता का राज्यवार ब्यौरा।

राज्य	शहरी जनसंख्या (2014-15)	जनसंख्या का प्रतिशत	कुल आवश्यक शीत भंडारण (क्षमता मीट्रिक टन में)
आंध्र प्रदेश	18428602	4.46	530925
अरुणाचल प्रदेश	354419	0.09	7508
असम	4774459	1.15	71996
बिहार	13008947	3.15	5123982
छत्तीसगढ़	6670958	1.61	513830
दिल्ली	17718674	4.29	40122
गोवा	1002786	0.24	2271
गुजरात	28523771	6.9	2239476
हरियाणा	9998498	2.42	240395
हिमाचल प्रदेश	722662	0.17	306147
जम्मू और कश्मीर	3807726	0.92	907842
झारखंड	8710072	2.11	24951
कर्नाटक	25886395	6.26	210313
केरल	19831340	4.8	45874
मध्य प्रदेश	21658925	5.24	1867179
महाराष्ट्र	54543414	13.19	157709
मणिपुर	943761	0.23	5062
मेघालय	651738	0.16	18704
मिज़ोरम	623469	0.15	8920
नागालैंड	676818	0.16	8675
ओडिशा	7583316	1.83	305500
पंजाब	11227754	2.72	1693408
राजस्थान	18558887	4.49	53395
सिक्किम	210234	0.05	2621
तमिलनाडू	37817826	9.15	194640
तेलंगाना	12806317	3.1	277129
त्रिपुरा	1161198	0.28	8554
उत्तर प्रदेश	48414644	11.71	10675137
उत्तराखंड	3410752	0.82	72931
पश्चिम बंगाल	31729218	7.67	9480929
यूटी और अन्य			4539
कुल	**413461936**		**35100664**